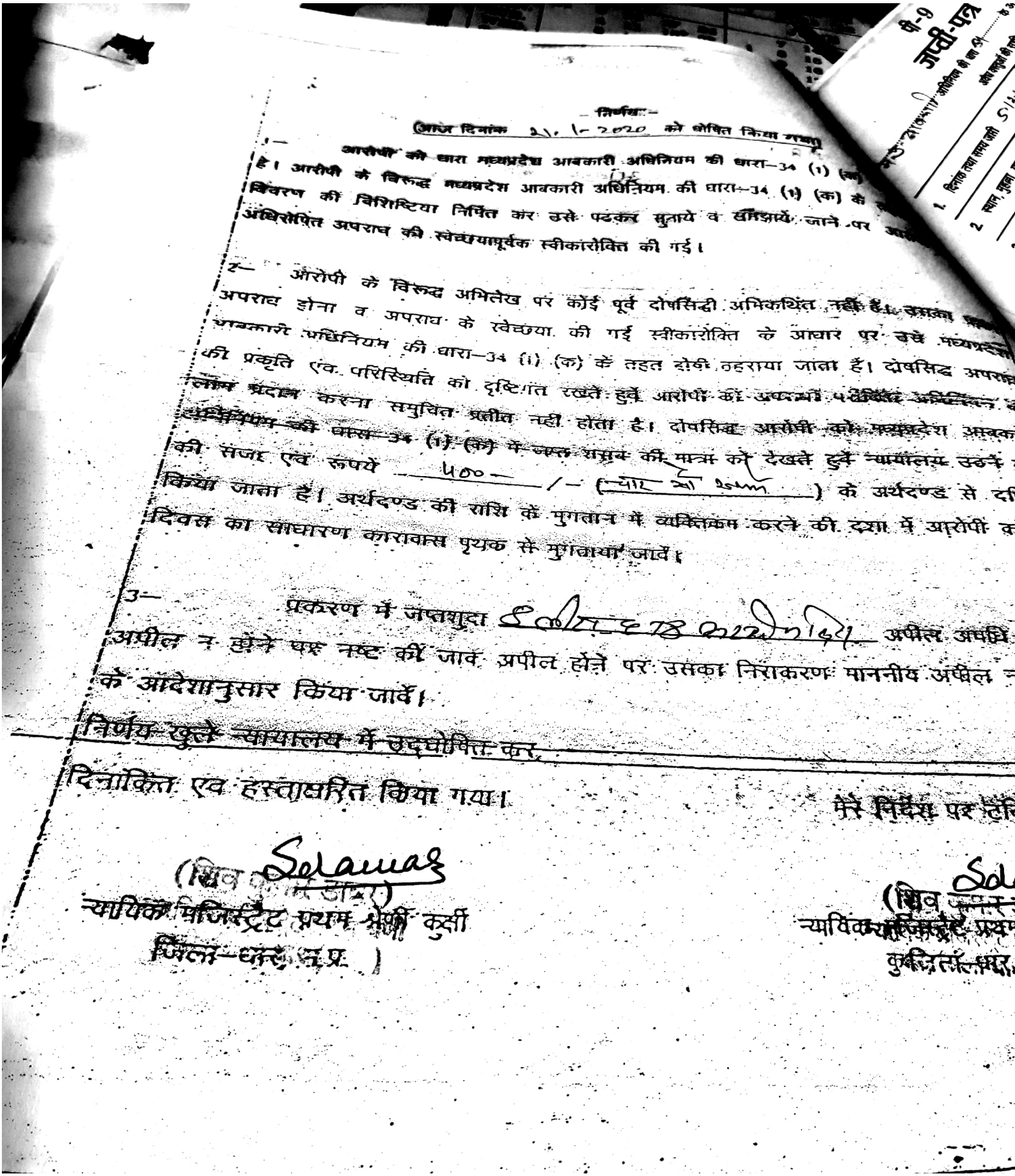

– निर्णय –

(आज दिनांक 21.1-2020 को घोषित किया गया)

1— आरोपी को धारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा–34 (1) (क)
है। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा–34 (1) (क) के
विवरण की विशिष्टिया निर्मित कर उसे पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आ
अधिरोपित अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति की गई।

2— आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धी अभिकथित नहीं है। उसका
अपराध होना व अपराध के स्वेच्छया की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे मध्यप्रदेश
आबकारी अधिनियम की धारा–34 (1) (क) के तहत दोषी ठहराया जाता है। दोषसिद्ध अपराध
की प्रकृति एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का
लाभ प्रदान करना समुचित प्रतीत नही होता है। दोषसिद्ध आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी
अधिनियम की धारा–34 (1) (क) में जप्त शराब की मात्रा को देखते हुये न्यायालय उठने
की सजा एवं रूपये 400/- (चार सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित
किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम करने की दशा में आरोपी को
दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

3— प्रकरण में जप्तशुदा [illegible] अपील अवधि
अपील न होने पर नष्ट की जावे अपील होने पर उसका निराकरण माननीय अपील न्यायालय
के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में उद्घोषित कर,
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(शिव कुमार डावर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुक्षी
जिला–धार, म.प्र.

मेरे निर्देश पर टंकित

(शिव कुमार डावर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कुक्षी, जिला धार